

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ.08(22) त.शि./2019

जयपुर, दिनांक 05.07.2021

—: आदेश :—

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक पद की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति अनुसार (अस्थायी वरिष्ठता सूची) निम्नानुसार एतद्वारा जारी की जाती है -

क्र.स	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	नियमित चयन वर्ष
1	श्री प्रेमचन्द (अ.जा)	10.07.1962	2006-2007
2	श्री सीताराम जालान्धरा	01.01.1962	2009-2010
3	श्री अशोक कुमार (अ.जा)	25.10.1962	2009-2010
4	श्रीमति उषा किरण गोयल	09.08.1961	2010-2011
5	श्री आलोक बंसल	15.02.1965	2010-2011
6	श्री अशु कुमार सहगल	16.12.1967	2011-2012
7	श्रीमती अर्चना मेहरा	02.06.1964	2011-2012
8	श्रीमति रन्जू गुप्ता	17.08.1964	2012-2013

उपरोक्त वरिष्ठता के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 10 दिवस के अन्दर भेजी जा सकती है। निर्धारित समय पर आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होने पर वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। संबंधित अधिकारी अपनी आपत्तियाँ सीधे ही राज्य सरकार को भिजवायें तथा एक प्रति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को प्रेषित करें।

आज्ञा से

(राजेश कुमार चौहान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को भेज कर लेख है कि उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर संबंधित अधिकारी को सूचित करने का श्रम करें।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

(जगदीश प्रसाद शर्मा)

सहायक शासन सचिव, त.शि.